



2026:AHC:44385

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2026 की 1641

नितिन कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: रामेंद्र कुमार शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेंद्र कुमार शुक्ला ने वर्तमान याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है। इस याचिका में प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग हापुड़ (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा पारित सेवा समाप्ति आदेश दिनांक 29.11.2025 को उत्प्रेषण रिट के माध्यम से रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम पुती लाल (2002)** तथा **सभा शंकर दुबे बनाम प्रभागीय वनाधिकारी एवं अन्य (2018)** में दिए गए निर्णयों के आलोक में चतुर्थ श्रेणी के न्यूनतम वेतनमान (18,000/- रुपये प्रतिमाह) के भुगतान हेतु परमादेश जारी करने की प्रार्थना की गई थी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, वर्तमान याचिका उचित रूप से गठित नहीं की गई है, अतः वे इसे नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेना चाहते हैं।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर **खारिज** की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

26 फरवरी, 2026

आशु

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।